अप्रैल, 2018

हिमाचल
शूरवीर
हितैषी

निदेशक :
सैनिक कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पिन–177001

नोट :– इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को जागरूक करने के लिये है । उचित प्राधिकार एवं प्रकिया की जानकारी सम्बन्धित कार्यलय से प्राप्त की जा सकती हैं।

संदेश

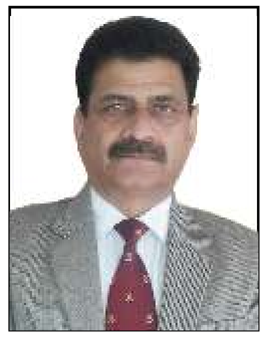

हिमाचल प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ अधिकतर पूर्व सैनिक जानकारी के अभाव में नहीं उठा पा रहे हैं। यह भी देखा गया है कि रोजगार सम्बंधी जानकारी के अभाव में भी बहुत से पूर्व सैनिक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा प्रयत्न है कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों तक पर्याप्त जानकारी पहुंच सके। शूरवीर हितैषी पत्रिका, समाचार पत्रों व हर जिले में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा आयोजित पूर्व सैनिकों के सम्मेलनों द्वारा जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पूर्व सैनिक किसी भी तरह की समस्या निवारण के लिये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। यदि जरूरत है तो आप मुझसे या निदेशालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

यह भी देखा गया है कि पूर्व सैनिक विभिन्न पदों की भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार अपनी योग्यता एवं दक्षता बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, जिस कारण पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित बहुत से पद खाली रह जाते हैं और पूर्व सैनिकों को इन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। विभाग विभिन्न योजनाओं एवं रोजगार सम्बन्धित जानकारी पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आशा के अनुरूप प्रभावित पूर्व सैनिकों तक सूचना नहीं पहुंच रही है। शूरवीर हितैषी पत्रिका का प्रकाशन भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

मुझे आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा।

जय हिन्द।

आपका सेवक,
ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा,से0नि0
निदेशक
सैनिक कल्याण, हि0प्र0

foHkkxh; dk;ldyki@xfrfof/k;k

पुनर्रोजगार :— पूर्व सैनिकों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये सदैव ही प्राथमिकता का विषय रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से पूर्व सैनिकों के पदों के लिये अप्रैल 2018 में पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार का कार्यक्रम है। इस साक्षात्कार में JOA (IT), Clerk, PGT, TGT, LT, PTI, Surveyor, Draftsmen, OTA, Lab Technician, Lab Assistant, JE (Civil) व JE (Electrical) के पदों के लिये सूचियां तैयार की जा रही हैं।

Children Education Grant के ऑन लाईन आवेदन भेजने बारे :- केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा Children Education grant के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दो बच्चों को शिक्षा अनुदान 1,000/— रूपये प्रति माह के हिसाब से प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018—19 के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा फार्म on line आमंत्रित किये जायेंगे। विभिन्न श्रेणियों की On line फार्म आवेदन करने की प्रक्रिया 01 अप्रैल से आरम्भ हो जायेगी। आवेदक केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेवसाइट www.ksb.gov.in के अन्तर्गत इस योजना के फार्म on line भर सकते हैं।

Oldage Pension Scheme (बुढापा पैन्शन) :- ऐसे पूर्व सैनिक व उनकी विधवाएं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है व जिन्हें किसी प्रकार की पैन्शन नहीं मिलती तथा उनकी आय सीमा 35,000/— रूपये से कम है, इस श्रेणी के अन्तर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पैन्शनरों को मुबलिग 3000/—रूपये प्रति माह व बाद के नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों को मुबलिग 500/— रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक 1717 लाभार्थियों को मुबलिग 1,25,27,481/—रूपये की राशि वितरित की गई।

<u>गणतन्त्र दिवस परेड</u> :– गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस की परेड जो कि रिज मैदान, शिमला में आयोजित हुई, बिलासपुर जिला के पूर्व सैनिकों की टुकड़ी ने भाग लिया। इस वर्ष जिला बिलासपुर के पूर्व सैनिकों की टुकड़ी ने राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस की परेड में अपना प्रदर्शन किया तथा महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को परेड की सलामी दी । महामहिम राज्यपाल जी ने टुकडी की प्रशंसा की ।

<u>युद्ध संग्रहालय – धर्मशाला</u> :– प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध संग्रहालय धर्मशाला की साज सजावट के लिए 1,15,00,000/– रूपये आंबटित किये गये। जिसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

<u>Ex-Gratia Grant</u> :- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से मरने वाले सेवारत सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 09 युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से मरने वाले सैनिकों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान 65,62,500/– रूपये की राशि प्रदान की गई।

<u>झण्डा दिवस निधि</u> :– सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा झण्डा दिवस निधि से जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, अपंग पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक इस विभाग द्वारा 02 जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, अपंग पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को झण्डा दिवस निधि से कुल मुबलिग 25,000/– रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

Gallantry Award Winner :- वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बार्षिकी अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 -2018 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं को 1,99,11,819/— रूपये की राशि प्रदान की गई।

आर. एण्ड आर. विशेष निधि से आर्थिक सहायता :— विभाग द्वारा आर. एण्ड आर. विशेष निधि से जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, अपंग पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक 11 जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, अपंग पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं को इस निधि से 10,000/— रूपये की प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल मुबलिग 1,10,000/— रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

पूर्व सैनिकों की रैली व Veterans Outreach/Interaction Programme :-

ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा, निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश द्वारा 17 से 18 मार्च 2018 को जिला ऊना में तथा 22 मार्च 2018 को जिला हमीरपुर में पूर्व सैनिकों की रैली व Veterans Outreach / Interaction Programme समारोह में भाग लिया गया। निदेशक सैनिक कल्याण द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में व विभाग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की व उनका समाधान किया। इसके अतिरिक्त होली मेला सुजानपुर व नलवाड़ मेला बिलासपुर में भी विभाग द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं व जानकारी का प्रचार प्रसार किया गया।

पूर्व सैनिक रोजगार सम्बन्धित

हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । सेवानिवृत होने वाले सैनिक, रोजगार हेतु अपना पंजीकरण सेवानिवृति से एक साल पहले अपनी क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर रोजगार हेतु पंजीकरण किसी कारणवश इस काल के अंतर्गत नहीं हो सका हो तो वो सेवानिवृति के बाद अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पंजीकरण के बाद सभी प्रार्थियों के कार्ड पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर को भेजते हैं।

आवेदक अपनी योग्यता अनुसार अपने रोजगार कार्यालय में तीन अलग–अलग व्यवसायों में नाम पंजीकरण करवा सकता है, इसके लिए उसे अपने सभी सम्बन्धित दस्तावेज पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकरण करने से पहले पूर्व सैनिकों को अपनी योग्यता के आधार पर सही तरीके से व्यवसाय का चयन करना चाहिए । आवेदक को अपना पंजीकरण का नवीनीकरण समय अवधि यानि तीन वर्ष में करवा लेना चाहिए, जिस के लिए उसे अपना X-10 कार्ड अपने रोजगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रार्थी का पंजीकरण रद्द हो जायेगा ।

अगर आवेदक ने पंजीकृत व्यवसायों में से कोई व्यवसाय बदली करना है तो उसके अपने रोजगार कार्यालय से ही करना होगा । इसके बावजूद अगर उसका पंजीकरण नवीनीकरण न होने की वजह से रद्द हो गया हो तो फिर से दोबारा/नया पंजीकरण भी उसी कार्यालय में होगा। व्यवसाय बदली करने पर वरिष्ठता तिथि उसी दिन से मान्य होगी, इसलिये पहली बार नाम दर्ज करवाते समय ही सोच समझ और पूरी जानकारी प्राप्त करके योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करें ताकि वरिष्ठता का लाभ भविष्य में न गवाना पड़े। पूर्व सैनिकों की नौकरी के लिये मनोनयन की प्रक्रिया मोटे तौर पर इस प्रकार से है।

- ✦ रिक्तियों की उपलब्धता
- ✦ पंजीकरण की तिथि
- ✦ आवेदक द्वारा पंजीकरण करवाते समय दिया गया विकल्प
- ✦ पात्रता जैसे कि योग्यता, संविधिक,पंजीकरण इत्यादि (यदि आवेदक द्वारा बाद में अर्जन की गई योग्यता की गणना उस तिथि से करना)
- ✦ वार्षिक नामिका (पैनल) :- मैरिट (वर्ष की संख्या एक वर्ष का 01 अंक और अधिकतम 25 अंक), चरित्र – 05, सेवानिवृति का कारण–05, श्रेणी – 05, पंजीकरण की तिथि– 10 (कुल अंक–50)
- ✦ नये बुलावा पत्र केवल तभी निकाले जाते है जब तक पुराना पैनल (नामिका) को निर्गम/खाली न हो जाये (केवल पुलिस सिपाही के पद या उन पदों को छोड़कर जिनमें पात्रता या योग्यता में बदलाव हुआ हो।)

पूर्व सैनिकों के बच्चों और उनके आश्रितों के लिए नौकरियां

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिये है। लेकिन किसी पोस्ट के लिए पात्रता और योग्यता के अनुसार पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एवं नियमानुसार, दो वर्ष बाद ऐसी पोस्टों का अप्राप्यता प्रमाण पत्र (Non Availablity Certificate) सम्बन्धित विभाग को दिया जाता है। जिसके उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा इन पोस्टों को पूर्व सैनिकों के बच्चों को नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रदान की जाती है।

(पूर्व सैनिक या परिवार का कोई एक सदस्य इस आरक्षण के प्रति नौकरी प्राप्त कर सकता है।)

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित पूर्व सैनिक कल्याणकारी योजनाओं के लिये ऑन लाईन (On line) पंजीकरण

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता के फार्म on line बैव पोर्टल www.ksb.gov.in का आरम्भ मार्च 2016 में किया गया है । इसके अन्तर्गत पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा Children grant, Penury grant, Marriage grant, Orphan grant, House Repair grant, Disabled children grant, Officer's Training grant, Funeral grant . Vocational Training grant, PM Schorlarship etc. के फार्म बैव पोर्टल www.ksb.gov.in पर on line भरे जायेंगे। इसके लिये आवेदक को पहले ऑन लाईन पंजीकरण करने के उपरान्त लॉग इन करना पड़ेगा। ऑनलाईन पंजीकरण करने हेतु आवेदक को ई–मेल आई डी, फोन नम्बर, आर्मी नम्बर, नाम, भर्ती व सेवानिवृति की तिथि, आधार नम्बर, घर का पता, बैंक का नाम खाता नम्बर व IFSC कोड एवम् पूर्व सैनिक का पहचान कार्ड संख्या इत्यादि अपलोड करने होंगे । पंजीकृत करने के उपरांत पूर्व सैनिक केन्द्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सैनिक के ऑन लाईन में कोई भी फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक के सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में फार्म प्रेषित हो जायेगा । सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ऑन लाईन फार्म की जांच पड़ताल करेगा व सही योग्य पाये जाने पर आवेदक के फॉर्मों को निदेशक सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश हमीरपुर को संस्तुति सहित ऑन लाईन प्रस्तुत करेगा ।

निदेशालय सैनिक विभाग हिमाचल प्रदेश पुनः जांच पड़ताल करने के उपरांत आवेदनों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को अनुमोदन हेतु ऑन लाईन प्रस्तुत करेगा । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ऑन लाईन फॉर्म को स्वीकृति करने उपरांत आवेदक के दिये

गये खाता संख्या में आर्थिक सहायता डालेगा । इस ऑन–लाईन योजना से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता लेने हेतु काफी सहुलियत प्रदान होगी । **योजनाओं की जानकारी इस प्रकार है:-**

Sr No	Grant	Amount	Eligibility
a.	Penury (Initial)	4000/-PM	Non pensioner and more then 60 yrs age and above Ex-Servicemen living in Penury
b.	Education (Up to two children)	1000/-PM	Upto two children upto the rank of Havildar and equivalent standing from class first to Graduation.
c.	Funeral	5000/- One time	Upto Havildar rank and equivalent should not have taken money from Army/Navy and Air force for funeral
d.	Orphan (Initial)	1000/-PM	Orphan should age below 21 yrs for son and unmarried daughter. Applicant must be a legitimate off spring of an ESM
e.	100% Disable Child (Initial)	1000/-PM	Upto Havildar/ equivalent and th e child should be 100% disabled and not in receipt of any disability benefits from any official agency
f.	Vocational Trg	20,000/- one time	Applicant must be widow of an ESM of rank upto Havildar/ equivalent. The applicant Should have successfully completed training.
g.	NDA Cadet (Initial)	1000/-PM	Applicant must be ESM or widow upto rank of Havildar/ equivalent. The child should have successfully completed the previous terms in a year.
h.	House Repair	20,000/- (Maximum)	(aa) Applicant must be an orphan daughter of all ranks (ab) Should be 100% disabled ESM/widow upto the rank of Havildar/equivalent a natural calamity notified by the Centre/State Govts only. (ac) House should have been damaged as result of

j.	Medical	30,000/- Per Year to Non pensioner ESM	Applicant must be non pensioner ESM/widow should be rank of Havildar/ equivalent and below. Expinduture must be incurred at recognized Govt Hospital at rate approved CGHS/ECHS.
k.	Marriage	50,000/-	Upto the rank of Havildar /equivalent. Daughter should be above 18 yrs age. Applicable only for two daughters.
l.	Serious Diseases	1,25,000/- per year max. Rs.75,000/- per annum for treatment of cancer /dialysis	Applicable must be Non pensioner and widow and not be member of ECHS or availing AFMS facility. Expinduture must be incurred at recognized Govt Hospital at rate approved CGHS/ECHS.
m.	Mobility Equipment	57,500/- Max	Applicant must be ESM disabled after retirement with disability of 50% or more and not cover ed under similar scheme of the Army/Navy and Air Force. Should be capable of personaly utilizing the Mobility Equipment.
n.	Subsidy on home loan	1,00,000/- Max	This facility is applicable for War Bereaved, War Disabled and Attributable Peacetime casualities only. Subsidy will be paid up to a maximum period of five years.

सभी पात्र पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र अपना पंजीकरण करवाये जिससे कि आपको आवेदन करने में आसानी हो सके।

वीरता एवम् बलिदान की मिसाल

वीर भूमि के कई वीर सपूतों ने विभिन्न युद्धों, आन्तरिक सुरक्षा एवम् अन्य ऑपरेशनों में उत्कृष्ट बहादुरी व कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश करते हुये देश की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाई। वर्ष 2017 में हिमाचल के जिन सात वीर सपूतों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर किये, उनका विवरण इस प्रकार से है।

Sr. No.	No. Rank & Name	Regt	Home Address	Operation
1.	045230466 CT/GD Suresh Kumar	CRPF	VPO. Sunhi, Tehsil Badoh, Distt. Kangra, HP	Anti Naxalite Op in Sukma Chhatisgarh
2.	041621275 Head Const. Surender Kumar	CRPF	VPO. Nerchowk, Tehsil Balh, Distt. Mandi, HP	Anti Naxalite Op in Sukma Chhatisgarh
3.	901311874 ASI Sanjay Kumar	CRPF	VPO. Chachian, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, HP	Anti Naxalite Op in Sukma Chhatisgarh
4.	JC-431089 Late Sub Shashi Kumar	19 Punjab Regt	Vill- Galol, PO. Karour, Tehsil- Nadaun, Distt. Hamirpur	Op Rakshak (J&K)
5.	IC-76354W Late Major Shikhar Thapa	71 Armd Regt	Vill-Upper Dar, PO. Dar, Tehsil- Dharamshala, Distt. Kangra	Op Rakshak (J&K)
6.	20002513H Late Sep Tanzin Chhultin	Dogra Scouts	Vill & PO- Karpat, Tehsil- Udaipur, Distt. Lahaul & Spiti	Op Rakshak (J&K)
7.	JC-430896P Sub Raj Kumar	26 Punjab Regt	VPO. Khanni, Tehsil- Nurpur, Distt. Kangra, HP-176201	Op Rakshak (J&K)

सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से सभी शहीदों को शत–शत प्रणाम।

भारतीय सेना में आफिसर पद पर भर्ती हेतू

भारतीय सेना में ऑफिसर पद पर भर्ती हेतू पात्र उम्मीदवार निम्नलिखित कोर्स / ऐन्ट्री द्वारा प्रवेश पा सकते हैं :–

Sr. No.	Course/ Entry	Eligiblity Criteria		Training Academy	Duration of of Training
		Age	Qualification		
1.	NDA	16½ to 19½ years (as on first day of the month in which course is due to commence	12th Class of 10+2 equivalent for Army & with Physics & Maths for Air Force & Navy	NDA Khadakwasla, Pune	3 Years at NDA & 1 Year at IMA
2.	10+2	16½ to 19½ years (as on first day of the month in which course is due to commence)	10+2 Physics, Chem. Chemistry & Maths (Aggregate 70% and above to apply)	OTA, Gaya	5 Years (1 year at OTA, Gaya and 4 years at CTWS), Permanent Commission after 4 years as under :- Phase-1 , 1 year pre-commissioning Training at OTA, Gaya & 3 years at CME Pune/MCTE Mhow/MCEME Secundrabad. Phase -II, 1 year Post-commissioning Training at CME Pune/MCTE Mhow/ MCEME Secundrabad.
3.	IMA (DE)	19 to 24 years (as on first day of the month in which course is due to commence)	Graduate from recognised university	IMA, Dehradun	1½ years
4.	SSC (NT) (Men & Women)	19 to 25 years (as on 1st Jan of the year for Apr course as on 1st Jul of the year for Oct. Course)	Graduate from recognised University	OTA, Chennai	49 Weeks

5.	NCC (Spl Entry) (Men & Women)	19 to 25 years (as on 1st Jan of the year for Apr. course and as on 1st Jul of the year for Oct. Course)	Graduate with 50% aggregate marks, 2 years service in NCC Sr. Div. Army Wing with minium 'B' grade in NCC 'C' Certificate Exam.	OTA, Chennai	49 Weeks
6.	SSC (JAG) (Men & Women)	21 to 27 years (as on 1st Day of the month in which course is due to commence)	Graduate with LLB 55% marks. Eligible to enroll as Advocate in Bar Council of India/States	OTA, Chennai	49 Weeks
7.	UES	18 to 24 years (as on first day of of the month in which course is due	Pre-final year students of BE/B.Tech. Course of the notified streams	IMA, Dehradun	1 Year
8.	TGC	20 to 27 years (as (as on first day of the month in which course is due to commence)	BE/B.Tech in notified streams	IMA, Dehradun	1 Year
9.	SSC (Tech) (Men & Women)	20 to 27 years (as (as on first day of the month in which course is due to commence)	BE/B.Tech in notified streams	OTA, Chennai	49 Weeks
10.	AEC	23 to 27 years (as on first day of the month in which course is due to commence)	Post Graduate in 1st or IInd division in notified subjects from recognised University)	IMA, Dehradun	1 Year

समस्त जानकारी Online www.joinindianarmy.nic.in पर ली जाती है।

Office of the Principal CDA(Pensions)
Draupadi Ghat, Allahabad- 211014

Circular No. 596 Dated: 09th February' 2018

To,

1. The Chief Accountant, RBI, Deptt. Of Govt. Bank Accounts, Central office C-7, Second Floor, Bandre- Kurla Complex, P B No. 8143, Bandre East Mumbai- 400051
2. All CMDs, Public Sector Banks including IDBI Bank
3. Nodal Officers, ICICI/ HDFC/ AXIS/ IDBI Banks
4. Managers, All CPPCs
5. Military and Air Attache, Indian Embassy, Kathmandu, Nepal
6. The PCDA (WC), Chandigarh
7. The CDA (PD), Meerut
8. The CDA, Chennai
9. The Director of Treasuries, All States
10. The Pay and Accounts Officer, Delhi Administration, RK Puram and Tis Hazari, New Delhi
11. The Pay and Accounts Office, Govt of Maharashtra, Mumbai
12. The Post Master Kathua (J&K)
13. The Post Master Camp Bell Bay
14. The Pr. Pay and Accounts Officer, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair

Subject: Implementation of Government decision on the recommendations of the 7th Central Pay Commission (CPC)- Revision of Disability/ War Injury pension for Pre-01.01.2016 Defence Forces pensioners reg.

Reference : This office Circular No. 570 dated 31.10.2016, Circular No. 582 dated 05.09.2017 and Circular No. 585 dated 21.09.2017.

-----*-----*-----

(Available on this office website www.pcdapension.nic.in)

Copy of GOI, MOD letter No. 17(01)/2017(01)/D(Pen/Policy) dated 23rd January, 2018 on the above subject, which is self-explanatory, is forwarded herewith for further necessary action at your end.

2. In terms of Para-2 of GOI, MOD letter No. 17(01)/2017(01)/D(Pension/ Policy) dated 04th September' 2017, Disability Element of Disability Pension to Armed Forces Pensioners has to be revised by multiplying the existing rate of Disability Element as had been drawn on 31.12.2015 by factor of 2.57 to arrive at revised rate of Disability Element as on 01.01.2016. Further, in terms of Para-5.2 & 5.3 of GOI, MOD letter No. 17(01)/2017 (02)/D(Pension/ Policy) dated 05th September' 2017, Disability Pensionary awards has to be revised on notional pay fixation method and benefits of broad banding will be given to discharge cases also as in invalided out cases and these will be done by issuing Corrigendum Pension Payment Order (PPO).

3. Now, consequent upon the issue of GOI, MOD letter dated 23rd January, 2018, the cases where Armed Forces Pensioners who were retired/ discharged voluntary or Office of the Principal CDA(Pensions) ith disability and they were in receipt of Disability/ War Injury Element as on 31.12.2015, their extent of disability/ War Injury Element shall be re-computed in the following manner given below, before applying the multiplication factor of 2.57 on existing disability/ war injury element as on 31.12.2015 for getting the revised disability/ war injury element as on 01.01.2016 in accordance to Para-2 of GOI, MOD letter No. 17(01)/2017(01)/D(Pension/ Policy) dated 04th September'2017.

Accepted percentage of disability	Percentage to be reckoned for computing of Disability Element
20% or more but less than 50%	50%
Between 50% to 75%	75%
Between 76% to 100%	100%

4. The Note below Para-12 of GOI, MOD letter No. 17(01)/2016-D(Pen/Pol) dated 29th October, 2016 (circulated vide Circular No. 570 dated 31.10.2016) stands deleted. In other words, quantum of additional pension available to old age pensioners after attaining the age of 80 years and above shall also be admissible on revised disability/ war injury element.

5. It is also stated that PDAs may take utmost care during revision of Disability/ War Injury Element as per this order in those cases where the pensioners who are in receipt of 50% of Disability/ War Injury Element of Disability/ War Injury

Pension. If the individual has already been given rounding of benefit through PPO (in invalided out cases) then rounding of benefit in such cases should not be given. However, where his disability was assessed as 50% in discharge cases then it will be rounded to 75% as mentioned in Para-3 above. If the PDAs found any problem regarding identification of such cases the same may please be forwarded to Audit Section of this office.

6. All Pension Disbursing Agencies handling disbursement of pension to the Defence Pensioner are hereby authorized to pay benefit of rounding off disability/ war injury and additional pension as per Para 3 & 5 above without any further authorization from the concerned Pension Sanctioning Authorities.

7. Provisions of GOI, MOD letter No. 17(01)/2017(01)/D(Pen/Policy) dated 23rd January, 2018 shall take effect from 01.01.2016.

8. This circular has been uploaded on this off ice website pcdapension.nic.in for dissemination to all alongwith Defence pensioners and Pension Disbursing Agencies.

No. Grants/Tech/7th CPC/0181/V
Dated: 09th February'2018 Dy. Controller (P)

पैंशनर की मृत्यु पर जरूरी कार्यवाई

1 यदि पैंशनर की मृत्यु किसी दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारणों से होती है, तो सर्वप्रथम संबंधित थाने को सूचना दी जानी चाहिये। इससे बाद में आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। मृत्यु के कारण के लिये शव परीक्षण कराया जाना चाहिए।

2 अस्पताल में स्याही द्वारा हस्ताक्षरित दो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। एक प्रमाण–पत्र अंतिम संस्कार किये जाने वाले स्थान पर तथा दूसरा मृत्यु एवॅ जन्म रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज करवाना पडता है। अंतिम संस्कार किये जाने वाले स्थान से प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

3 मृत्यु के 15 दिन के अंदर किसी रिश्तेदार द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किया जाना चाहिये। वहां से मूल हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाण–पत्र की 20 प्रतियां प्राप्त करें जो कि अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

4 पैंशनर की मृत्यु की सूचना जिस बैंक से पैंशन प्राप्त करता रहा हो वहां पर सर्वप्रथम सूचना दें एवम् पैंशन बन्द करने का आवेदन दें तथा उत्तराधिकारी का नाम भी दें। मृत्यु प्रमाण पत्र एवम् पी. पी. ओ. की छायाप्रति एवम् उत्तराधिकारी की फोटो जमा करें। उस आवेदन में पी. पी. ओ. एवं खाता क्रमांक भी अवश्य रूप से दर्शाएं।

5 यदि पत्नि का उसी बैंक में संयुक्त (Joint) खाता है तो उसी पर कार्यवाही होगी अन्यथा उसी शाखा में अलग से नया खाता खोलना पडेगा। साथ में परिचय पत्र तथा घर के निवास का प्रमाण संलग्न करें जैसे कि वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। इनकी छायाप्रतियां ।

6 संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पेंशनर की मृत्यु की सूचना दें तथा कार्यालय में उनकी पत्नि को मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पी. पी. ओ., पूर्व सैनिक पहचान पत्र एवम् तीन फोटो ले जाकर अपना परिचय पत्र बनवाना चाहिए।

7 यदि पी पी ओ में उत्तराधिकारी का नाम नहीं है तो संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से Endorsement of family pension form लेकर कार्यवाही करें।

8 पी. सी. डी. ए. (पी) को पृथक से पारिवारिक पैंशन प्रारंभ करने हेतु एक आवेदन– पत्र एवम् मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9 यदि सेवानिवृत आर्मी अधिकारी पैंशनर है तो ए. जी. ब्रांच को इसकी सूचना दें ताकि वो अपना अभिलेख पूर्ण कर सके एवॅ Platinum Grant यदि लागू हो तो उसके लिये कार्यवाही की जा सके।

10 यदि पैंशनर की आयु 70 वर्ष से कम है और विस्तारित अवधि की देय तिथि के अन्दर है तो आर्मी समूह बीमा योजना की निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु आवेदन प्रेषित करें।

11 अधिकारी के पहचान पत्र को एरिया / सब एरिया / स्टेशन हेडक्वार्टर (Int Branch) में जमा करवायें।

12 यदि अन्य कोई बीमा योजनायें हैं तो उसके लिए संबंधित को आवेदन प्रस्तुत करें।

13 जिस भी बैंक में पैंशनर के खाते थे उन सबको मृत्यु की सूचना दें तथा उत्तराधिकारी का नाम एवम् पता एवम् खाता क्रमांक सूचित करें।

14 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को पैंशनर के वाहन को उत्तराधिकारी के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन करें।

15 यदि पैंशनर के पास कोई हथियार था तो वह संबंधित थाने में जमा करवायें एवम् Arms License Authority को हस्तांतरण हेतु आवदेन करें।

16 उत्तराधिकारी द्वारा बिजली विभाग को मीटर का कनेक्शन हस्तांतरण हेतु आवेदन किया जाना चाहिये।

17 दूरभाष अधिकारी को उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये कि दूरभाष को उसके नाम पर हस्तॉतरण किया जाये।

18 यदि AWHO से पेंशनर द्वारा मकान क्रय किया गया है तो उत्तराधिकारी द्वारा उसके नाम पर हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि किराये से उक्त मकान को दिया जाना है तो AWHO से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना चाहिए।

19 सभी क्लबों एवम् सोसायटी, जिसमें पेंशनर की मेंमरशिप हो को उत्तराधिकारी के नाम पर हस्तांतरण कराया जाना चाहिये।

20 उत्तराधिकारी द्वारा सारे लंबित भुगतान किये जाने चाहिये।

21 यदि किसी भी संस्था या बैंको से या क्रेडिट कार्ड पर पेंशनर द्वारा ऋण लिया गया हो तो उसे भी उत्तराधिकारी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये।

22 कुछ बैंकों द्वारा फिक्स डिपोजिट पर बीमा दिया जाता है तो उसके भुगतान के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

23 आयकर विभाग को पेंशनर की मृत्यु की सूचना देते हुए उनकी आयकर की फाईल को बंद कराने हेतु आवदेन दें तथा उत्तराधिकारी के नाम पर दोनो के पैन नं0 देते हुए फाईल खुलवायें।

24 नगर निगम को पैंशनर की मृत्यु की सूचना देकर संपत्ति से संबंधित प्रकरण को बंद कराते हुए उत्तराधिकारी के नाम पर दर्ज करायें।

25 यदि पैंशनर ने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है तो उत्तराधिकारी द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र जिला न्याायालय से बनवाया जाना चाहिए।

<u>fopkj</u>

1- ekyh izfrfnu ikS/kksa dks ikuh nsrk gS exj Qy ekSle vkus ij vkrk gSA blh izdkj thou esa /kS;Z j[ksa izR;sd pht vius le; ij gksxhA ges'kk ifjJe djs le; ij Qy feysxkA

2- gekjk O;ogkj dbZ ckj gekjs Kku ls vf/kd vPNk lkfcr gksrk gSA D;ksafd thou esa tc fo"ke ifjfLFkfr;k¡ vkrh gS rc Kku gkj ldrk gS ysfdu O;ogkj dh thr gksus dh lEHkkouk cuh jgrh gSA

3- thou esa [kq'kh dk eryc yM+kbZ;ksa ugha ojuk muls cpuk gSA dq'kyrk iwoZd ihNs gVuk Hkh viuh vki esa thr gS] D;ksafd vfHkeku dh rkdr Qfj'rksa dks Hkh 'kSrku cuk nsrh gS vkSj ueZrk lk/kkj.k bUlku dks Qfj'rk cuk nsrh gSA

4- vxj Øks/k dks le; FkksM+k :d tk;s vkSj xyrh dks le; FkksM+k >qd tk;s rks nqfu;k dh lc leL;k;sa gy gks ldrh gSA

5- vkneh lk/kuksa ls ugha] lk/kuk ls egku curk gSA Hkouksa ls ugha] Hkkouk ls egku curk gSA mPpkj.k ls ugha] mPp&vkpj.k ls egku curk gSA

6- ids gq;s Qy dh rhu igpku gksrh gSA ,d rks ueZ gks tkrk gS] nwljs ehBk gks tkrk gS] rhljk jax cny nsrk gSA blh rjg ifjiDo O;fDr dh igpku gksrh gS-------- igyk mlesa ueZrk gksrh gS] nwljk ok.kh ehBh gksrh gS rhljk psgjs ij vkRefo'okl dk jax gksrk gSA

7- rkykc ges'kk dq,s ls T;knk cM+k gksrk gS] ysfdu ykx dq,s dk ikuh ihrs gS D;ksafd dq,s esa xgjkbZ vkSj 'kq) rk gksrh gS A

8- Ekuq"; dk cM+k gksuk vPNh ckr gS ysfdu O;fDrRo esa xgjkbZ vkSj fopkjksa esa 'kq) rk gh mls egku cukrh gSA

9- ftl fnu ge ;g le> tk;saxs fd lkeus okyk xyr ugha gS] flQZ mlds fopkj gels vyx gS mlh fnu ls thou ds lc nq%[k lekIr gks tk;saxsA

funs'kky; lSfud dY;k.k foHkkx] fgekpy izns'k
fLFkr gehjiqj&177001

'kjohj fgrS"kh i=dk yuq grq &
vfHkknku Qkel **(Subscription Form)**

1. Army No ______________________

2. Rank ______________________

3. Name ______________________

4. Mobile Number ______________________

5. Permanent Home Address :

   (tgka i=dk yuq pkgrs g) ______________________

   ____

6. Pin Code ______________________

7. Subscription Amount ______________________
   (For life Rs. 500/-)

8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Editor Shurveer Hitaishi Patrika HP at Hamirpur

Place : ____________

Dated : ____________

____
(Signature of the Applicant)

हिमाचल

ऊना में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वेटरन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा ने बतौर मुख्यातिथि की शिरकत

सैनिकों के अक्षम बच्चों को एक हजार

सैनिकों के अक्षम बच्चों को एक हजार

केंद्रीय सैनिक बोर्ड देगा आर्थिक मदद, पात्रों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन

दो चरणों में होगी 807 पद भरने के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती

दो से चार अप्रैल तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर होगी भर्ती, दस और 11 अप्रैल को पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी के पद भरे जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो

हमीरपुर।

सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले पूर्व सैनिकों के 807 पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां तय हो गई हैं। विभाग का रोजगार सैल दो चरणों में साक्षात्कार लेगा। पहले चरण में दो से चार अप्रैल और दूसरे चरण में दस और 11 अप्रैल को साक्षात्कार लिए जाएंगे। दो से चार अप्रैल को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए साक्षात्कार और टाइपिंग परीक्षा रखी गई है। चार अप्रैल को साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा। दस और 11 अप्रैल को पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी, पीईटी, ड्राफ्ट्समैन, कला अध्यापक, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिक और क्लर्क पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार की तिथियां घोषित होने के बाद विभाग ने पात्र 1586 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजने शुरू कर दिए हैं। 20 मार्च से सभी पात्र अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेज दिए जाएंगे। कॉल लेटर और अभ्यर्थियों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

पहले सरकार के एसएमसी से भर्तियां करने के निर्णय के चलते ये भर्तियां रुकी पड़ी थीं। विभाग ने कैबिनेट से पूर्व सैनिकों की भर्तियों को क्लीयरेंस मांगी थी। छह फरवरी को कैबिनेट से भर्तियां पूर्व सैनिक रोजगार सैल के सौजन्य से करने की मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की गई। उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिकों की भर्तियों के लिए साक्षात्कार की तिथियां तय हो गई हैं। पात्र पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं। साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की विभिन्न विभागों में नियुक्ति होगी।

पूर्व सैनिकों को योजनाओं बारे बताया

ऊना में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वैटनर्स आऊटरीच कार्यक्रम आयोजित

ऊना : सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन के दौरान सैनिक कल्याण हमीरपुर के सेवानिवृत्त निदेशक ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा व पूर्व सैनिक सामूहिक चित्र में। (निजी)

ऊना, 17 मार्च (सुरेन्द्र): उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना द्वारा आज सैनिक विश्राम गृह परिसर ऊना में पूर्व सैनिक सम्मेलन तथा 8 मैक 7 पंजाब द्वारा 56 ए.पी.ओ. ने वैटनर्स आऊटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, वीरनारियों, शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं उनके आश्रितों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निदेशक सैनिक कल्याण ... साथ-साथ विभिन्न तरह की वित्तीय सहायता बारे ब्यौरा प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में निदेशक सैनिक कल्याण ने आर. एंड आर. निधि के अंतर्गत 11 पात्र पूर्व सैनिकों व उनके ... रुपए के 1,10,000 रुपए की राशि के चैक दिए। इस अवसर पर ई.सी.एच.एस. कार्यालय से कर्नल तरसेम सिंह जसवाल व 8 मैक से आए प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन को

पूर्व सैनिकों को योजनाओं बारे बताय

ऊना में पूर्व सैनिक सम्मेलन और वैटनर्स आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

ऊना, 17 मार्च (सुरेन्द्र): उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना द्वारा आज सैनिक विश्राम गृह परिसर ऊना में पूर्व सैनिक सम्मेलन तथा 8 मैक 7 पंजाब द्वारा 56 ए.पी.ओ. ने वैटनर्स आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, वीरनारियों, शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं उनके आश्रितों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निदेशक सैनिक कल्याण ... साथ-साथ विभिन्न तरह की वित्तीय सहायता बारे ब्यौरा प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में निदेशक सैनिक कल्याण ने आर. एंड आर. निधि के अंतर्गत 11 पात्र पूर्व सैनिकों व उनके ... रुपए के 1,10,000 रुपए के चैक दिए। इस अ... ई.सी.एच.एस. कार्यालय ... हरसेम सिंह जसवाल व ... आए प्रतिनिधियों ने भी ...

ऊना : सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन के सैनिक कल्याण हमीरपुर के सेवानिवृत्त निदेशक ब्रिगेडियर ... कुमार वर्मा व पूर्व सैनिक सामूहिक चित्र में।

पूर्व सैनिक कोटे से पुलिस भर्ती पर रोक

अमर उजाला ब्यूरो

हमीरपुर।

सूबे में ओपन पुलिस भर्ती पर अभी तक कोई निर्णय न होने के चलते अब पूर्व सैनिक कोटे से होने वाली भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग ने बीते अक्तूबर माह में पूर्व सैनिक कोटे से पुलिस कांस्टेबल के करीब 180 पदों को भरने के लिए पंजीकरण किया था। सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था।

विभाग ने लौटाई फाइल
कांस्टेबलों के 180 पदों के लिए आए थे सैकड़ों आवेदन

सैनिक कल्याण विभाग ने इंटरव्यू व दस्तावेजों की छंटनी प्रक्रिया के बाद फाइल प्रदेश पुलिस विभाग को भेज दी थी। लेकिन अब पुलिस विभाग ने ओपन भर्ती पर अभी तक कोई निर्णय न होने का तर्क देकर सैनिक कल्याण विभाग को फाइल लौटा दी है। इससे पुलिस विभाग में खाली पदों का इंतजार कर रहे पूर्व सैनिकों को झटका लगा है। बता दें कि बीते वर्ष सितंबर माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी। इस भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद अक्तूबर माह में लिखित परीक्षा हुई थी जिसके बाद दिसंबर माह में साक्षात्कार होने थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोकना पड़ा। हालांकि, पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि उनके कोटे से भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी। लेकिन अब नए फरमान से पूर्व सैनिकों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उधर, हिप्र. सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिक कोटे से होने वाली भर्ती पर रोक लगी है। इस बारे में निदेशालय को लिखित में भी सूचना मिल चुकी है।

...। अमर उजाला

मेडिकल हब के रूप में उभरेगा हिमाचल : परमार

बोले - टीएमसी-आईजीएमसी में होंगे डॉक्टरों के वॉक इन इंटरव्यू

अमर उजाला ब्यूरो

पालमपुर/बरोह (कांगड़ा)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से नाहन, चंबा और मंडी में मेडिकल कॉलेज शुरू होने से प्रदेश मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है।

हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने की व्यवस्था होने जा रही है। आईजीएमसी और टीएमसी टांडा में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए महीने में दो दिन वॉक इन इंटरव्यू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अरबों रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई है। लेकिन, उसका सही प्रयोग नहीं हो सका है। प्रदेश में 9 ... हेल्थ ब्लॉक, टीएमसी को 40 करोड़, ऊना के लिए 20 करोड़, सुंदरनगर के लिए 12 करोड़, बिलासपुर, नाहन और नूरपुर में 10-10 करोड़, बद्दी में 30 करोड़ रुपये मॉडर्न लैब को दिए गए। लेकिन, काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। पालमपुर में विवेकानंद अस्पताल के लिए भी आवश्यक मदद दी जाएगी। परमार सोमवार को अपने निवास स्थान नगरोटा में नवरात्र के मौके पर मंत्री बनकर लौटे हैं। सोमवार को उनके निवास स्थान पर पूरा दिन घर-घर नए स्वास्थ्य की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।

पढ़ाई के लिए 1500 बच्चों को मिलेगा अनुदान

पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अनुदान राशि देगा सैनिक कल्याण विभाग

हमीरपुर। सैनिक कल्याण विभाग प्रदेश के 1500 पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुदान देगा। 2017 में अनुदान राशि के लिए 1500 पूर्व सैनिकों के बच्चों ने आवेदन किया है। 2016 के मुकाबले 2017 में दोगुने आवेदन ...

... हजार रुपये की राशि ... वर्ष से सैनिकों के दो ... हजार रुपये विभाग दे ... हवलदार रैंक तक के पूर्व ... बच्चों को ही मिलेगी। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति ...

इंजीनियरिंग कॉलेज ...र्माण की कवायद तेज

...में रखेंगे मास्टर ड्राइंग, मार्च से पहले हो सकते हैं टेंडर

62.06 बीघा जमीन हो चुकी है विभाग के नाम

सरकार और प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ... कदम में ड्राइंग कॉलेज के लिए जमीन ... तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम ...

(नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी) को दिया गया है। इसे इसी महीने अंत में बीओडी की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद इसका टेंडर जारी होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग की माने तो कॉलेज के निर्माण का कार्य एनपीसीसी ...

जूनियर आफिस असिस्टेंट बनेंगे पूर्व फौजी

प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी, सैनिक बोर्ड 250 पदों के लिए जल्द करेगा भर्ती

• सुरेंद्र ठाकुर, हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को ... विभागों में नौकरी मिलेगी। ... सैनिक बोर्ड जूनियर आफिस असिस्टेंट के 250 पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। ...

"जूनियर अफिसर असिस्टेंट के 250 पद पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे। दो और तीन अप्रैल को जेओए के पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। इसके बाद चार अप्रैल को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा
ब्रिगेडियर एसके वर्मा
निदेशक, सैनिक बोर्ड

दो चरणों में होगी 807 पद भरने के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती

दो से चार अप्रैल तक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों पर होगी भर्ती, दस और 11 अप्रैल को पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी के पद भरे जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो

हमीरपुर।

सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले पूर्व सैनिकों के 807 पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां तय हो गई हैं। विभाग का रोजगार सैल दो चरणों में साक्षात्कार लेगा। पहले चरण में दो से चार अप्रैल और दूसरे चरण में दस और 11 अप्रैल को साक्षात्कार लिए जाएंगे। दो से चार अप्रैल को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए साक्षात्कार और टाइपिंग परीक्षा रखी गई है। चार अप्रैल को साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होगा। दस और 11 अप्रैल को पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी, पीईटी, ड्राफ्ट्समैन, कला अध्यापक, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिक और क्लर्क पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार की तिथियां घोषित होने के बाद विभाग ने पात्र 1586 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजने शुरू कर दिए हैं। 20 मार्च से सभी पात्र अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेज दिए जाएंगे। कॉल लेटर और अभ्यर्थियों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

पहले सरकार के एसएससी से भर्तियां करने के निर्णय के चलते ये भर्तियां रुकी पड़ी थीं। विभाग ने कैबिनेट से पूर्व सैनिकों की भर्तियों को क्लीयरेंस मांगी थी। छह फरवरी को कैबिनेट से भर्तियां पूर्व सैनिक रोजगार सैल के सौजन्य से करने की मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की गई। उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिकों की भर्तियों के लिए साक्षात्कार की तिथियां तय हो गई हैं। पात्र पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं। साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की विभिन्न विभागों में नियुक्ति होगी।